रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275363
CG-DL-E-11082026-275363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4249] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 4249] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4427(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधाराओं (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2026 होगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में—

(1) अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (1) में—

(i) खंड (ए) के पश्चात निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:—

"(एए) 'सक्रिय बाढ़ मैदान' से अभिप्राय गंगा नदी अथवा उसकी उपनदियों का वह क्षेत्र है जो पाँच वर्षीय पुनरावृत्ति अवधि के अनुरूप आने वाली बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाता है।"

(ii) खंड (एल) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(एल) "बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है तथा इसमें सक्रिय बाढ़ मैदान, विनियामक क्षेत्र [अर्थात पाँच वर्षीय पुनरावृत्ति अवधि और पच्चीस वर्षीय पुनरावृत्ति अवधि के बीच आने वाली बाढ़ से आच्छादित बाढ़ मैदान का क्षेत्र] तथा चेतावनी क्षेत्र [अर्थात पच्चीस वर्षीय पुनरावृत्ति अवधि और सौ वर्षीय पुनरावृत्ति अवधि के बीच आने वाली बाढ़ से आच्छादित क्षेत्र] सम्मिलित होंगे।"

(2) अनुच्छेद 4 में, खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ix) नदी गंगा अथवा उसकी उपनदियों के तटों तथा उनके बाढ़ मैदानों का रख-रखाव इस प्रकार किया जाएगा कि प्रदूषण के स्रोतों एवं दबावों में कमी लाई जा सके तथा आवश्यक उपायों के माध्यम से उनके प्राकृतिक भू-जल पुनर्भरण के कार्यों का संरक्षण किया जा सके।"

[फा. सं. L-25012(11)/22/2024-LME NMCG]

राशि शर्मा, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

टिप्पणी: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3187(अ), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2337(अ), दिनांक 7 मई, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4427(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following order further to amend the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, namely: -

1. (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Second Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016-

(1) in paragraph 3, in sub-paragraph (1), -

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely -

"(aa) ***"active flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water due to floods corresponding to a one in five-year return period;";***

(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely: -

" (l) 'flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years and includes active flood plain, regulatory zone (area of flood plain covered by floods between one in five-year

return period and one in twenty five-year return period) and warning zone (area covered by floods between the one in twenty five-year return period and one in one hundred-year return period),";

(2) in paragraph 4, for clause (ix), the following clause shall be substituted, namely: -

"(ix) the bank of River Ganga or its tributaries and their flood plains shall be maintained to reduce pollution sources, pressures and to preserve their natural ground water recharge functions through necessary measures;"

[F. No. L-25012(11)/22/2024-LME NMCG]

RASHI SHARMA, Executive Director (Administration)

Note- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016, and last amended vide notification number S.O. 2337 (E), dated the 7th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.11 11:47:09 +05'30'